सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 88/18 **निर्णय दिनांक 21.03.2018**

1. कृष्ण कुमार पुत्र लक्ष्मणदास जाति अग्रवाल निवासी सुराणों का मोहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24–05–1989
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री अनिल ओझा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24–05–1989 जिसके द्वारा अपीलांट को विशेष आवंटन के तहत पोंग बांध विस्थापित के लिए आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक 12 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 63/57 के किला

नम्बर 1, 2, 3, 4, 10 तादादी 3 बीघा 5 बिस्वा, कमाण्ड, व किला नम्बर 4, 5, 6 ता 8, 11, 20, 21, 12 ता 18, 22 ता 25 तादादी 18 बीघा 7 बिस्वा इस प्रकार कुल तादादी 22 बीघा 7 बिस्वा भूमि का विशेष आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि दिनांक जरिये चालान संख्या 250 दिनांक 24—04—1989 को ही जमा करवा दी गई तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया ।

अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवजमें अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—05—1989 के विरूद्व अपील दिनांक 22—02—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—05—1989 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—02—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 12 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 63/57 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 10 तादादी 3 बीघा 5 बिस्वा, कमाण्ड, व किला नम्बर 4, 5, 6 ता 8, 11, 20, 21, 12 ता 18, 22 ता 25 तादादी 18 बीघा 7 बिस्वा इस प्रकार कुल तादादी 22 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा तत्समय ही आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि राशि 11,247/— जरिये चालान संख्या 250 दिनांक 24—04—1989 को जमा करवा दी गई थी।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित रकबा पूर्व में ही पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित रकबा होने से उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि अदालत मातहत को उक्त आवंटन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि उक्त आराजी पूर्व में अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन अन्य को आवंटित कर दी गई।

(3) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) प्रकरण में अपीलांट के आवंटन को आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में पोंग बांध हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी 2070—2073 से साबित है कि अपीलांट को आवंटित भूमि पोंग बांध विस्थापितों आरक्षित भूमि है।

(6) ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—05—1989 पुष्टि योग्य नहीं कहा जा सकता। अपीलांट उसी श्रेणी की अन्य भूमि के आवंटन का अधिकारी है। अपीलांट बकाया राशि जमा करवाने हेतु आज भी तैयार है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 24—05—1989 निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता अनुसार विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर